न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15/2017

प्रार्थिगण

1.रूपाराम पुत्र स्व. कानाराम निवासी कुचामनसिटी।

2. झुताराम पुत्र स्व. नारायणराम बावरी निवासी कुचामन सिटी।

बनाम

अप्रार्थीगण

1.राजेश पुत्र स्व. रामेश्वर

2.पिन्टू पुत्र रामेश्वर जाति बावरी निवासी कुचामन सिटी।

3.श्रीमान राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, नागौर।

4.राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955

वकील प्रार्थी :– श्री राजेश गुर्जर ।

निर्णय **दिनाक** 31/07/2017

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने इसके सम्बध में वाद न्यायालय में पेशकर रखा है। मोजा कुचामन के पुराना खसरा नम्बर 413 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 1566 रकबा 0.53 है0 खसरा नम्बर 1567 रकबा 0.35 है0 खसरा नम्बर 1493 रकबा 0.08 है0 खसरा नम्बर 1494 रकबा 0.41 है0 खसरा नम्बर 1484 रकबा 0.13 है0 खसरा नम्बर 1485 रकबा 0.10 है0 बने है। जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी 1 व 2 का कब्जा काईम पूर्वजों से चला आ रहा है। पुर्वज कानाराम व नारायणराम पुत्र मांगूराम है प्रार्थी एव अप्रार्थीगण ने जरिये दरकास्त कर 1/2 – 1/2 हिस्सा का काबिज है। उक्त जमीन की नियमन की सिफारीश कार्यवाही की हुई है। लेकिन खातेदारी दर्ज नही हुई है उक्त आराजी में प्रार्थीगण के पूर्वजो के समय से मकान बने हुए है तहसीलदार नावां की नियमन की सिफारीश के आधार पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उक्त खातेदारी पाने के अधिकारी होने से प्रथम दृष्टिया एवं सुविधा का सन्तुलन व अर्पूतनिय क्षति होने से प्रार्थनापत्र में ताफैसलावाद यथास्थिति बनाये रखने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर वकील प्रार्थी द्वारा इकतरफा बहस सुनाने पर प्रथम दृष्टिया एवं सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनिय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतित होने से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को मौका व रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख तक बनाये रखने हेतु पांबद किया गया। प्रार्थना पत्र की सुनवाई की तारीख 4/8/17 है। अप्रार्थीगण सख्या 4 राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी) ने प्रार्थनापत्र पेश कर नजदीक सुनवाई की तारीख हेतु निवेदन किया। नकल वकील प्रार्थी को दिलाई गई सरकारी पेरोकार तहसीलदार एवं वकील प्रार्थी उपस्थित बहस

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सुनाई बाद बहस पत्रावली एव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अप्रार्थीगण सख्या 1 व 2 के नोटिस दिनाक 22/5/17 को तामील किये हुए है जिनकी और से आज दिन तक कोई जबाब शामिल मिसल नही है अप्रार्थिगण 3 व 4 की और से तहसीलदार कुचामन उपस्थित जिन्होने जबाब पेश कर रखा है शा0मि0 है आदि का अवलोकन एवं मनन करने पर न्यायालय का मत है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टिया एवं सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति पर निर्णय करना है।

1. प्रथम दृष्टिया मामला :– उक्त आराजी प्रार्थी की एवं प्रार्थी के पूर्वजों के नाम कभी खातेदारी नही हुई है। प्रार्थी ने उक्त आराजी पर पूर्वजो का कब्जा होना बताया है लेकिन अप्रार्थी स0 4 सरकारी पेरोकर तहसीलदार कुचामन ने उक्त आराजी सरकारी बताई है। इसलिए प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत नही होता है।
2. सुविधा का सन्तुलनः– उक्त आराजी सरकारी है तथा प्रार्थी के पूर्वजों एव प्रार्थी के नाम कभी खातेदारी में नही रही है। इसलिए सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतित नही होती है।
3. अपूर्णनीय क्षति :– तहसीलदार के जबाब एव सलग्न खतौनी से उक्त आराजी सरकारी है जिससे प्रार्थी को किसी प्रकार की क्षति होने की सभावना प्रतित नही होती है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एंव वकील प्रार्थी की बहस व अप्रार्थी सख्या 4 सरकारी पेरोकर तहसीलदार कुचामन सिटी का जबाब सलग्न खतौनी व प्रथम दृष्टिया मामला, सुविधा का सन्तुलन एव अपूर्णनीय क्षति तीनो बिन्दुओ का अवलोकन एवं मनन करने पर न्यायालय का मत है कि सरकारी भूमि पर प्रार्थी के पक्ष अस्थाईनिषज्ञा जारी रखना न्यायोचित प्रतित नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज होने पर निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

कस्बा कुचामन सिटी खसरा नम्बर 1566,1567,1493, 1484, 1485 में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनाक 28/4/17 को अपास्त कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। मिसल नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ सलग्न हो।

निर्णय आज दिंनाक 31/07/2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)